

तहसीलदार

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम फागी पश्चिम के खाता सं. 565 खसरा नं. में आवेदन पत्र अनुसार रामस्वरूप पुत्र सुरज के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र सुरजमल प्रधान शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प न. 11/6/25 ग्राम पंचायत फागी में दिनांक 11/6/25 को मजमेआम में सुनाया गया।



11/6/25
रुपखण्ड अधिकारी
फागी